मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

पंजीकरण दिनाँक: निर्णय दिनाँक: अवधि:
02/02/16 09/12/20 4 वर्ष, 10 माह, 7 दिन

पीठासीनः चंद्रोदय कुमार, एच.जे.एस.
एम.ए.सी.पी. संख्या- ६३/२०१६,
श्रीमती भगवती उम्र करीब ४५ साल पत्नी भूपत सिंह निवासी ग्राम नैपुरा थाना महोबकण्ठ तह. कुलपहाड़ जिला महोबा

-------याचिया

प्रति

१. श्रीमती राम कुमारी पत्नी खूबचंद हाल निवासी ग्राम बैंदो तह. कुलपहाड़ जिला महोबा
.....पंजीकृत स्वामी मारूति नं. यू.पी. ९५ सी ४७२८
२. खूबचन्द्र तनय कन्हैयालाल उर्फ कन्धीलाल हाल निवासी ग्राम बैंदो तह. कुलपहाड़ जिला महोबा
.....चालक मारुति नं. यू.पी. ९५ सी ४७२८
३. जरिये शाखा प्रबन्धक इफको टोक्यो बीमा कम्पनी स्थित प्रथम तल चौरसिया काम्पलेक्स सफारी होटल के पास, सतना म.प्र.
.....बीमाकर्ता मारूति नं. यू.पी. ९५ सी ४७२८

-------विपक्षीगण

याची के अधिवक्ता- सुरेन्द्र प्रकाश पाण्डेय
विपक्षी सं. १ व २ के अधिवक्ता- श्री एन.एल. पांचाल
विपक्षी सं. ३ के अधिवक्ता- श्री राजीव गुप्ता

निर्णय

प्रस्तुत याचिका याचिया श्रीमती भगवती द्वारा मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम की धारा-१४० व १६६ के अन्तर्गत कथित मोटर दुर्घटना में स्वयं को आई चोटों के कारण ₹ १३,१५,००० क्षतिपूर्ति दिलाये जाने हेतु विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

२. संक्षेप में प्रकरण यह है कि दिनाँक २४.०७.२०१३ को समय १०-११ बजे रात्रि याचिया एवं अन्य लोग मारुति वैन नं. यू.पी. ९५ सी ४७२८ से महोबा से छतरपुर होते हुये झाँसी जा रहे थे। उक्त वैन को विपक्षी सं. २ चला रहा था। तभी सामने से आल्टो कार आई। उस समय उक्त वाहन भंडरा व खिलारा जो झाँसी खजुराहो मुख्य मार्ग पर स्थित है, के बीच था। चालक ने बचाना चाहा लेकिन चालक विपक्षी सं. २ वाहन को तेजी व लापरवाही से चला रहा था तथा चालक का वाहन पर नियंत्रण नहीं था, जिससे मारुति वैन लहराकर पेड़ से जा टकरायी। वाहन के पेड़ से टकराने के कारण याची व उसमें बैठी हुई सवारियों को गम्भीर चोटें आई। विपक्षी सं. १ उक्त वाहन सं. यू.पी. ९५सी ४७२८ का पंजीकृत स्वामी था एवं वाहन स्वामी का पति चालक विपक्षी सं. २ उसे चला रहा था। याचिया के विकलांग हो जाने के कारण अब याची भविष्य में स्वयं का एवं अपने परिवार का भरण पोषण करने एवं अन्य समस्त सुख सुविधाएं देने में वंचित हो गयी है।

३. विपक्षी सं. १ श्रीमती राम कुमारी व विपक्षी सं. २ खूबचन्द्र क्रमशः प्रश्नगत मारुति वैन सं. यू.पी. ९५सी ४७२८ के पंजीकृत स्वामी व चालक की ओर से १४बी जवाबदावा दाखिल कर याचिका में वर्णित कथित दुर्घटना के तथ्यों से इन्कार करते हुये मुख्य रूप से यह कथन किये हैं, कि याचिया व अन्य उक्त मारुति वैन में परिचित व व्यवहारिक रूप में यात्रा कर रहे थे। याचिया को आई चोटों के कारण शरीर व व्यापारिक कार्य में कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा है। विपक्षीगण के वाहन के सामने अचानक नील गाय आ गयी थी जिसके कारण मारुति वैन असंतुलित होकर पेड़ से टकरा गयी थी, जिससे याचिया को चोटें आई थीं। विपक्षी सं. १ उक्त मारुति वैन की पंजीकृत स्वामिनी है तथा उक्त मारुति वैन विपक्षी सं. ३ इफको टोकियो जनरल इंश्योरेन्स कं. लि. से दुर्घटना के समय बीमित थी तथा विपक्षी सं. २ के पास एल.एम.वी. चलाने के लिये वैध एवं प्रभावी लाइसेंस था। याचिया को आई चोटों की क्षतिपूर्ति यदि याचिया पाने योग्य है तो उसकी जिम्मेंदारी बीमा कम्पनी विपक्षी सं. ३ की बनती है।

४. विपक्षी सं. ३ इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कं. लि. बीमाकर्ता मारुति वैन सं. यू.पी. ९५ सी ४७२८ की ओर से २४बी जवाबदावा दाखिल कर याचिका के तथ्यों से इन्कार करते हुये मुख्य रूप से यह कथन किये हैं कि विपक्षी बीमा कम्पनी की जिम्मेंदारी बीमा पॉलिसी में दिये गये प्राविधानों व शर्तो एवं लिये गये प्रीमियम के अनुसार ही आयद होती है अन्यथा नहीं। कथित दुर्घटना के समय उक्त प्रश्नगत मोटर साईकिल के चालक विपक्षी सं. २ के पास वैध व प्रभावी चालक लाईसेंस नहीं था तथा वह बीमा पॉलिसी की शर्तो के विरुद्ध अवैधानिक रूप से मोटर साईकिल चला रहा था तो ऐसी दशा में विपक्षी बीमा कम्पनी किसी भी क्षतिपूर्ति धनराशि अदायगी के लिए उत्तरदायी नहीं है। प्रतिकर याचिका से स्पष्ट है कि दुर्घटना के समय प्रश्नगत मारुति वैन का उपयोग व्यवसायिक रूप में हो रहा था और उससे सवारियाँ ढ़ोई जा रहीं थीं जबकि उक्त

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.12.09 15:17:31 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor Accident Claim Tribunal
Jhansi

मारुति वैन का रजिस्ट्रेशन प्राईवेट वाहन के रूप में है व बीमा पॉलिसी भी प्राईवेट कार की है एवं कार का टैक्सी परमिट भी नहीं है जो बीमा शर्तो का खुला उल्लंघन है इसलिए उन विपक्षी का क्षतिपूर्ति भुगतान का कोई दायित्व नहीं है।

५. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर दिनाँक ०९.०१.२०१८ को निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गये हैंः-

१. क्या घटना दिनाँक २४.०७.२०१३ को समय १०-११ बजे रात्रि में याची एवं अन्य मारुति वैन नं. ९५ सी ४७२८ से महोबा से छतरपुर होते हुए झाँसी जा रहे थे उक्त वैन को विपक्षी सं. २ काफी तेजी व लापरवाही से चला रहा था, जैसे ही उक्त वाहन भड़रा व खिलारा, जो झाँसी खजुराहो मुख्य मार्ग पर स्थित हैं, के बीच था तभी सामने से आल्टो कार आयी, तेजी व लापरवाही से चलाने के कारण मारुति वैन चालक वाहन पर नियंत्रण नही रख सका जिससे मारुति वैन लहराकर एक पेड़ से जा टकरायी, वाहन के पेड़ से टकराने के कारण याची व उसमें बैठी हुयी सवारियों को गम्भीर चोटें आयीं ?

२. क्या दुर्घटनाग्रस्त वाहन के चालक के पास दुर्घटना के समय वैध व प्रभावी ड्राईविंग लाइसेंस था ? यदि हाँ तो उसके प्रभाव ?

३. क्या दुर्घटनाग्रस्त वाहन दुर्घटना के समय बीमा कम्पनी के यहाँ विधिवत रूप से बीमित था ? यदि हाँ तो उसका प्रभाव ?

४. क्या याची कोई क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं, यदि हाँ तो कितनी व किस विपक्षी से ?

५. अन्य अनुतोष,

६. पक्षकारों की ओर से निम्नलिखित दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैंः-

याची की ओर से

अभिलेखीय साक्ष्य

१. याची द्वारा फेहरिस्त सबूत ७सी१ के माध्यम से ८सी१ लगायत १२सी१ दस्तावेज, जिनमें प्रथम सूचना रिपोर्ट, आरोपपत्र, नक्शा नजरी की सत्य प्रतिलिपियाँ व असल दवाओं के बिल/रसीदें, जाँच रिपोर्ट आदि शामिल हैं,

२. फेहरिस्त १६सी१ के माध्यम से १७सी१/१ लगायत १९सी१ दस्तावेज, जिनमें पंजीयन प्रमाणपत्र, बीमा पॉलिसी व ड्राईविंग लाईसेंस की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपियाँ शामिल हैं,

३. फेहरिस्त ३५सी१ के माध्यम से ३६सी१/१ लगायत ४०सी१/८ दस्तावेज जिनमें याची के असल पर्चे, असल ई. सी. जी. रिपोर्ट, बेड हेड टिकेट की छाया प्रति, मूल एक्स-रे प्लेट शामिल हैं,

४. फेहरिस्त ४४सी१ के माध्यम से ४४सी१/१ लगायत ४४सी१/५ एम.ए.सी.पी. नं. ६१/२०१६ रहीश बनाम राम कुमारी में गवाह पी.डब्लू.२ भूपत के बयान की सत्य प्रतिलिपि,

मौखिक साक्ष्य

पी.डब्लू.- १ याचिया श्रीमती भगवती चुटैल स्वयं

विपक्षीगण की ओर से

अभिलेखीय साक्ष्य

विपक्षी सं. १ व २ की ओर से फेहरिस्त १६सी१ से १७सी१ लगायत १९सी१ प्रपत्र दाखिल किये गये, जिनमें पंजीयन प्रमाणपत्र, बीमा पॉलिसी, डी.एल. की नोटरी द्वारा प्रमाणित सत्य प्रतिलिपियाँ शामिल हैं,

मौखिक साक्ष्य

विपक्षीगण की ओर से कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है।

७. मैंने उभय पक्ष की ओर उपस्थित विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया।

८. निस्तारण वाद बिन्दु सं. 1

वाद बिन्दु सं. १ को साबित करने के लिये याची की ओर से ९सी१ आरोपपत्र की सत्य प्रतिलिपि, ११सी१ नक्शा नजरी की सत्य प्रतिलिपि,१३सी१ प्रथम सूचना रिपोर्ट की सत्य प्रतिलिपि, ३८सी१ श्रीमती भगवती का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मऊरानीपुर झाँसी का असल वाह्य रोगी प्रपत्र, ४०सी१ महारानी लक्ष्मीबाई चिकित्सा महाविद्यालय, झाँसी के बेड हेड टिकेट की छाया प्रति अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में दाखिल किये गये हैं तथा मौखिक साक्ष्य में पी.डब्लू. १ याचिया श्रीमती भगवती चुटैल स्वयं को परीक्षित कराया गया है तथा ४४सी१/१ लगायत ४४सी१/५ एम.ए.सी.पी. नं. ६१/२०१६ रहीश बनाम राम कुमारी में गवाह पी.डब्लू.२ भूपत के बयान की सत्यप्रतिलिपि दाखिल की गयी है।

९. प्रस्तुत प्रकरण में **१३सी१ प्रथम सूचना रिपोर्ट** के अवलोकन से स्पष्ट है कि याची के ससुर भूपत सिंह जो कि घटना के समय मौके पर उपिस्थित थे तथा जिसे दुर्घटना में चोटें आना अभिकथित किया गया है, ने दिनाँक ०७.१०.२०१३ को न्यायालय जुडिशियल मजिस्ट्रेट,

मऊरानीपुर, झाँसी में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा १५६(३) जाब्ता फौजदारी दिया गया, जिसके आधार पर प्रस्तुत दुर्घटना दिनाँकित २४.०७.२०१३ की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनाँक १०.०२.२०१४ को मारुति वैन नं. यू.पी. ९५ सी ४७२८ के चालक खूबचन्द्र (विपक्षी सं. २) के विरूद्ध मु.अ.सं. ४८/२०१४ धारा २७९, ३३९, ३३८, ३०४ए भा.द.सं. पंजीकृत की गई है। उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादी भूपत सिंह द्वारा किये गये कथनों से याची की याचिका के कथनों की पुष्टि होती है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह तथ्य भी अंकित कराया गया है कि दिनाँक १८.०८.२०१३ को जब प्रार्थी का लड़का ग्वालियर अस्पताल से रिलीज हुआ तो प्रार्थी घटना की रिपोर्ट करने थाना मऊरानीपुर गया लेकिन उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी तब प्रार्थी ने घटना का प्रार्थनापत्र जरिए रजिस्टर्ड डाक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी को भेजा लेकिन प्रार्थी की रिपोर्ट नहीं लिखी गई तथा वादी ने प्रार्थनापत्र में रिपोर्ट दर्ज किये जाने व अन्वेषण का आदेश पारित करने की याचना की। तत्पश्चात वादी की उक्त रिपोर्ट पंजीकृत हुई है तथा प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट बिलम्ब से दर्ज होने का पर्याप्त कारण व स्पष्टीकरण प्रथम सूचना रिपोर्ट में दिया गया है। विधि व्यवस्था **रवि बनाम बद्रीनारायण व अन्य (18.02.2011-SC): MANU/ SC/ 0133/ 2011** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवधारित किया है कि मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति के दावे के लिए एफ.आई.आर. निश्चित रूप से दुर्घटना के तथ्य को साबित करती है, जिससे कि पीड़ित क्षतिपूर्ति के लिये एक मामले को दर्ज करने में सक्षम है लेकिन ऐसा करने में देरी दावे को खारिज करने का मुख्य आधार नहीं हो सकती है। घटनाओं के संचयी प्रभाव को आंका जाना है। [पैरा -२० और २१] इस प्रकार याची द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने में जो बिलम्ब हुआ है उसका पर्याप्त कारण उसकी साक्ष्य से परिलक्षित होता है।

१०. ९सी१ आरोपपत्र की सत्य प्रतिलिपि के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत दुर्घटना के प्रकरण में विवेचक द्वारा बाद सम्पन्न करने विवेचना चालक खूबचन्द्र (विपक्षी सं. २) के विरूद्ध मु.अ.सं. ४८/२०१४ धारा २७९, ३३९, ३३८, ३०४ए भा.द.सं. के अन्तर्गत आरोपपत्र दाखिल किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में दाखिल **११सी१ नक्शा नजरी** के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवेचक द्वारा जो नक्शा नजरी बनाया गया है उसमें दर्शित **A** स्थान पर प्रश्नगत मारुति वैन नं. यू.पी. ९५सी ४७२८ के चालक द्वारा तेजी व लापरवाही से चलाकर खड़े बृक्ष में जोरदार टक्कर मार देना अंकित है, जिससे भी याचिया के याचिका के कथनों का समर्थन होता है। उक्त नक्शा नजरी निम्वत् हैः-

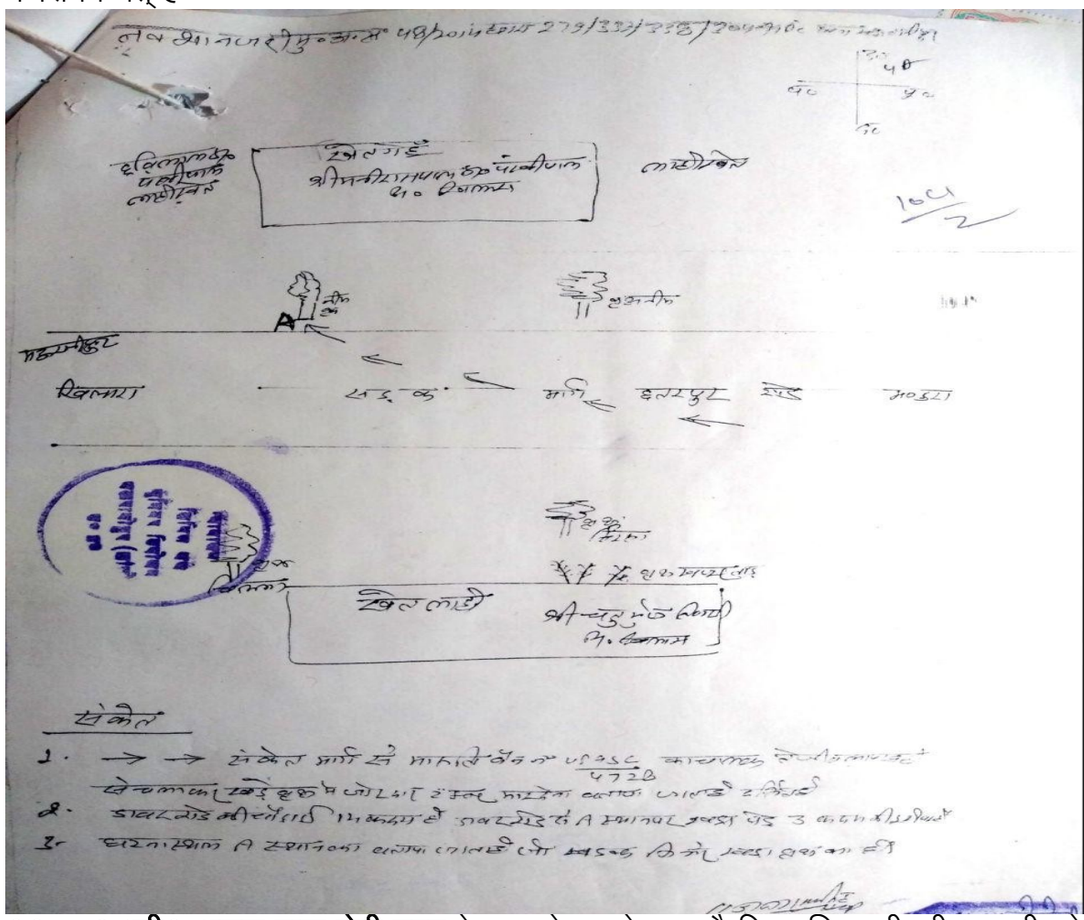

११. ३८सी१ असल बाह्य रोगी प्रपत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि याचिया श्रीमती भगवती को दिनाँक २४.०७.२०१३ को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मऊरानीपुर, झाँसी पर इलाज हेतु ले जाया गया जिसमें आर.टी.ए. इजरी का उल्लेख है। **४०सी१ महारानी लक्ष्मीबाई चिकित्सा महाविद्यालय, झाँसी के बेड हेड टिकिट की छाया प्रति** के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि याचिया

उक्त अस्पताल में २५.०७.२०१३ को इलाज हेतु भर्ती हुई तथा दिनाँक २७.०७.२०१३ को उसे डिस्चार्ज किया गया।

१२. पी.डब्लू.१ के रूप में श्रीमती भगवती ने याचिका के कथनों का समर्थन करते हुए साक्ष्य दी है कि बयान देने के दिन से पांच साल पहले की बात है। सावन का महीना था। वह महोबा से छतरपुर होते हुये झाँसी जा रही थी। वह कम पढ़ी लिखी है। मारूति वैन का नम्बर नहीं बता सकती। मारुति में उसके अलाव उसका पति भूपत और लड़का रहीश, बहू श्रीदेवी व अस्पताल की आशा भी बैठी थी। मारुति को खूबचन्द्र चला रहा था। मारुति खूबचन्द्र की पत्नी राम कुमारी की थी। मारुति को ड्राईवर खूबचन्द्र तेजी व लापरवाही से चला रहा था। उसने उसे तेजी से गाड़ी चलाने से रोका भी था। जैसे ही रात के १०-११ बजे मारुति कार भंड़रा खिलारा जो झाँसी खजुराहो मार्ग पर है, के बीच पहुँची तो सामने से आल्टो कार गई क्योंकि ड्राईवर खूब चन्द्र तेजी व लापरवाही से चला रहा था, गाड़ी काबू में नही रही और गाड़ी बहक गयी। मारुति लहराती हुये एक नीम के पेड़ से जा टकराई जिससे रहीश, श्रीदेवी को गम्भीर चोटें आयी। उसके पति भूपत को मामूली चोटें आई। वह भी विकलांग हो गई। उसके पैर में छड़ डाली गई। इस साक्षी से विस्तृत प्रतिपरीक्षा की गई है किन्तु इस साक्षी की जिरह में कोई ऐसा विरोधाभास नहीं आया है जिससे कि इस साक्ष्यी की साक्ष्य पर अविश्वास किया जा सके। इसके अतिरिक्त याची की ओर से **एम.ए.सी.पी. नं. ६१/२०१६ रहीश बनाम राम कुमारी में गवाह पी.डब्लू.२ भूपत के बयान की सत्यप्रतिलिपि** ४४सी१/३ लगायत ४४सी१/५ पत्रावली पर दाखिल की गयी है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त याचिका का साक्षी भूपत भी प्रस्तुत प्रकरण का मौके का साक्षी है तथा जिसे भी कथित दुर्घटना में चोटे आई है, की साक्ष्य से भी प्रस्तुत प्रकरण के दुर्घटना सम्बन्धी कथनों का समर्थन होता है।

१३. विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी द्वारा यद्यपि याचीगण द्वारा कथित दुर्घटना सम्बन्धी कथनों को अस्वीकार किया गया है किन्तु विपक्षी बीमा कम्पनी की ओर से अपने कथनों के समर्थन में कोई अभिलेखीय अथवा मौखिक साक्ष्य दाखिल नहीं की गई है। वैन किराये पर चलाई जा रही थी इसका कोई साक्ष्य नही है। विपक्षीगण सं. १ व २ प्रश्नगत मारुति वैन के मालिक व चालक ने अपने जवाबदावा में यह स्वीकार किया है कि उनका वाहन मारुति वैन नं. यू.पी. ९५सी ४७२८ असंतुलित होकर पेड़ से टकरा गयी थी, जिससे याचिया को चोटें आई थीं। **अर्चित सैनी व अन्य बनाम द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड व अन्य (09.02.2018-S.C): MANU/SC/0105/2018** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया गया है कि मोटर दुर्घटना से संबंधित मामले में दावेदारों को मामले में इतनी यात्रा की आवश्यकता नहीं है जितनी कि एक आपराधिक मुकदमें में। न्यायालय को इस अंतर को ध्यान में रखना चाहिए। एक विशेष बस द्वारा एक विशेष ढंग से दुर्घटना कारित किए जाने को सख्त सबूत द्वारा साबित किया जाना दावेदारों के लिये संभव नहीं है। दावेदारों को केवल अधिसंभाव्यता की प्रबलता की कसौटी पर अपना मामला स्थापित करना था। उचित संदेह से परे प्रमाण का मानक नहीं हो सकता था।

१४. इस प्रकार याचिया की ओर से पत्रावली पर उपलब्ध उक्त साक्ष्य के विश्लेषण के आधार पर मैं इस निष्कर्ष का हूँ कि घटना दिनाँक २४.०७.२०१३ को समय १०-११ बजे रात्रि में याची एवं अन्य मारुति वैन नं. ९५ सी ४७२८ से महोबा से छतरपुर होते हुए झाँसी जा रहे थे उक्त वैन को विपक्षी सं. २ काफी तेजी व लापरवाही से चला रहा था। जैसे ही उक्त वाहन भड़रा व खिलारा, जो झाँसी खजुराहो मुख्य मार्ग पर स्थित हैं, के मध्य था तभी सामने से आल्टो कार आयी, तेजी व लापरवाही से चलाने के कारण मारुति वैन चालक वाहन पर नियंत्रण नही रख सका जिससे मारुति वैन लहराकर एक पेड़ से जा टकरायी, वाहन के पेड़ से टकराने के कारण याची व उसमें बैठी हुयी सवारियों को गम्भीर चोटें आयी। **तदनुसार वाद बिन्दु सं. १** सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

१५. <u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या २</u>

इस वाद बिन्दु के सम्बन्ध में पत्रावली पर याची की ओर से प्रपत्र सं. १९सी१ प्रश्नगत मारुति वैन नं. ९५ सी ४७२८ के चालक विपक्षी सं.२ खूब चन्द्र की चालन अनुज्ञप्ति की नोटरी द्वारा प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि १९सी१ प्रस्तुत की गयी है, जिसके अनुसार चालक खूबचन्द्र दिनाँक २७.०१.२००३ से २६.०१.२०२३ तक एल.एम.वी. व मोटर साइकिल विद गियर चलाने के लिए अनुज्ञप्त है। इस अनुज्ञप्ति का खंडन विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी द्वारा नही किया जा सका है। घटना दिनाँक २४.०७.२०१३ की है। इस प्रकार स्पष्ट है कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन के चालक के पास दुर्घटना के समय वैध व प्रभावी ड्राईविंग लाइसेंस था। तदनुसार **वाद बिन्दु सं. २** सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

१६. <u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या ३</u>

इस वाद बिन्दु के सम्बन्ध में पत्रावली पर याची की ओर से प्रपत्र सं. १८सी१ बीमा पॉलिसी की नोटरी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि दाखिल की गयी है, जिसके अवलोकन से विदित होता है कि प्रश्नगत मारुति वैन नं. ९५सी ४७२८ का बीमा दिनाँक ०५.१२.२०१२ से ०४.१२.२०१३ तक

प्राईवेट कार के रूप में वैध व प्रभावी है। ₹ ३५ के प्रीमियम पर IMT 16 का इंडोर्समेंट है। बीमा कम्पनी की ओर से न तो ऐसा कोई साक्ष्य है कि याची उपहति के लिए त्रतीय पक्षकार के रूप मे आवरित नही है न ही उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा ऐसा कोई तर्क ही प्रस्तुत किया गया है। बीमा कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मात्र यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रश्नगत मारुति वैन का उपयोग व्यवसायिक रूप में हो रहा था और उससे सवारियां ढ़ोई जा रही थी जबकि उक्त मारुति वैन का रजिस्ट्रेशन प्राईवेट वाहन के रूप में है व बीमा पॉलिसी भी प्राईवेट कार की है एवं कार का टैक्सी परमिट भी नहीं है जो बीमा शर्तो का खुला उल्लंघन है इसलिए उन विपक्षी का क्षतिपूर्ति भुगतान का कोई दायित्व नहीं है। उक्त सम्बन्ध में पी.डब्लू.१ ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ सं. ४ पर यह बयान दिया है कि यह कहना गलत है कि घटना के समय वह मारुति में किराया देकर यात्रा कर रही थी और विपक्षीगण को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किराया न बताया हो। विपक्षी सं. १ व २ प्रश्नगत मारुति वैन के क्रमशः पंजीकृत स्वामी व चालक ने अपने जवाबदावा में यह कथन किया है कि याचिया व अन्य उक्त मारुति वैन में व्यवहार व परिचित के रूप में यात्रा कर रहे थे। बीमा कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता अपने उक्त कथनों एवं तर्को के उत्तर में कोई अभिलेखीय अथवा मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नही कर सके। इस प्रकार बीमा कम्पनी के उपरोक्त तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है और यह साबित नहीं होता है कि याचिया उक्त प्रश्नगत मारुति वैन में बतौर किराया यात्री यात्रा कर रही हो। घटना दिनाँक २४.०७.२०१३ की है। इस प्रकार स्पष्ट है कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन दुर्घटना के समय बीमा कम्पनी विपक्षी सं. ३ के यहाँ विधिवत रूप से बीमित था। तदनुसार **वाद बिन्दु सं. ३** सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है। इसके अतिरिक्त याचिया की ओर से प्रश्नगत मारुति वैन के **पंजीयन प्रमाणपत्र** की नोटरी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि १७सी१ भी दाखिल की गई हैं। उक्त बीमा पॉलिसी व पंजीयन प्रमाणपत्र का खंडन विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा नही किया जा सका है। तदनुसार **वाद बिन्दु सं. ३** सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

१७. <u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या ४ व ५</u>

वाद बिन्दु सं. १ के निस्तारण से यह साबित है कि दिनाँक २४.०७.२०१३ को समय १०-११ बजे रात्रि में याची एवं अन्य मारुति वैन नं. ९५ सी ४७२८ से महोबा से छतरपुर होते हुए झाँसी जा रहे थे, उक्त वैन को विपक्षी सं. २ काफी तेजी व लापरवाही से चला रहा था, जैसे ही उक्त वाहन भड़रा व खिलारा, जो झाँसी खजुराहो मुख्य मार्ग पर स्थित हैं, के मध्य था तभी सामने से आल्टो कार आयी, तेजी व लापरवाही से चलाने के कारण मारुति वैन चालक वाहन पर नियंत्रण नही रख सका जिससे मारुति वैन लहराकर एक पेड़ से जा टकरायी, वाहन के पेड़ से टकराने के कारण याची व उसमें बैठी हुयी सवारियों को गम्भीर चोटें आयीं। इस प्रकार याचिया क्षतिपूर्ति प्राप्त करने की अधिकारी है। अब प्रश्न यह हैं कि याचिया श्री देवी किस विपक्षी से और कितनी क्षतिपूर्ति पाने की अधिकारी है ? चूँकि वाद बिन्दु संख्या २ व ३ सकारात्मक रूप से निर्णीत किये हैं अतः क्षतिपूर्ति का दायित्व विपक्षी सं. ३ शाखा प्रबन्धक इफको टोकियो जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड का है।

<u>क्षतिपूर्ति की गणना-</u>

१८. याचिया की ओर से अपनी याचिका में कथन किया गया है उसे उक्त दुर्घटना में उसे गम्भीर चोटें आई, चोटों के कारण उसे विकलांगता आई तथा उसके पैर में छड़ डाली गयी, उसका इलाज मेडिकल कॉलेज, झाँसी में हुआ। याची ने अपनी विकलांगता आने का कथन अपनी याचिका में व पी.डब्लू. १ के रूप में अपनी साक्ष्य में किया है तथा यह भी साक्ष्य दिया है कि उसके पैर में छड़ डाली गयी, वह अच्छी तरह चल फिर नहीं पाती है किन्तु उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह साक्ष्य दी है कि यह बात सही है कि पत्रावली पर उसने कोई विकलांगता का प्रमाण प्रस्तुत नही किया है। प्रस्तुत याचिका में याचिया की ओर से पत्रावली पर कोई विकलांगता प्रमाणपत्र दाखिल नही किया गया है। इस प्रकार याचिया अपनी स्थायी/अस्थायी विकलांगता साबित नहीं कर सकी है और यह मामला स्थायी/अस्थायी विकलांगता का नहीं बनता है। पी.डब्लू.१ के रूप में याचिया ने याचिका के उक्त कथनों के समर्थन में साक्ष्य दी है। वह भैंस पालन से दूध बेचकर ₹ १५,००० प्रतिमाह कमा लेती थी। उसके पास इलाज के संबंध में जो भी दवाओं की पर्ची इत्यादि, उसने प्रस्तुत कर दिये हैं। याचिया की ओर से पत्रावली पर **३८सी१ असल बाह्य रोगी प्रपत्र** के अवलोकन से स्पष्ट है कि याचिया श्रीमती श्रीदेवी को दिनाँक २४.०७.२०१३ को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मऊरानीपुर, झाँसी पर इलाज हेतु ले जाया गया। ४०सी१ महारानी लक्ष्मीबाई चिकित्सा महाविद्यालय, झाँसी के बेड हेड टिकिट से यह स्पष्ट है कि याचिया उक्त अस्पताल में २५.०७.२०१३ को इलाज हेतु भर्ती हुई तथा दिनाँक २७.०७.२०१३ को उसे डिस्चार्ज किया गया। यचिया की ओर से अपने भैंस पालन से दूध बेचने से मासिक आय होने के सम्बन्ध में कोई अभिलेखीय साक्ष्य दाखिल नहीं की गई है। इस प्रकार प्रकार याचिया की मासिक आय का कोई निश्चित साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। याचिया की ओर से पत्रावली पर फेहरिस्त ७सी१ से विभिन्न दवाओं के असल बिल/रसीदें दाखिल की गई है, जिनमें याची के नाम का उल्लेख है, उन समस्त बिलों का **योग ₹ ७,०६५** होता है जिनका खंडन विपक्षीगण की ओर से नही किया जा

सका है। अतः इस धनराशि को वह प्राप्त करने की अधिकारी है। इस प्रकार प्रकरण के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते याची के इलाज में दवाओं के बिलों आदि के व्यय के मद में याची ₹ **७,०६५**, वर्णित चोटों के लिए याचिया को हुए **मानसिक व शारीरिक कष्ट** के लिए **₹ ८,०००**, **पुष्टाहार के लिये ₹ ८,०००,** याची ने अपनी मासिक आय ₹१५,००० बतायी है तथा पी.डब्लू.१ के रूप में उसने साक्ष्य दी है कि वह डेढ़ महीना अस्पताल में भर्ती रही, उस संबंध में कागज उसने पेश नहीं किये हैं। पत्रावली पर उपलब्ध बेड हेड टिकेट (केस-शीट) प्रपत्र संख्या ४०सी१ से यह साबित है कि याचिया अपने इलाज हेतु ३ दिन अस्पताल में भर्ती रही, उसके पैर मे फैक्चर था, स्टिचेस लगाये गये व प्लास्टर चढ़ाया गया। याचिया की वर्णित चोटों की प्रकृति को देखते हुये यह माना जाता है कि याचिया अपने इलाज हेतु अस्पताल में लगभग ३० दिन अपना दैनिक कार्य नही कर पाई होगी। आज के परिवेश में याची की आय ₹ १६५ प्रतिदिन मानते हुये याचिया के ३० दिन तक कार्य न कर पाने के कारण हुई हानि के लिए १६५×३०=**₹ ४,९५०, सहायक की सेवाओं** के लिए हुए खर्च पर भी एक मुश्त **४,९५०**, इलाज के लिये आवागमन पर हुये व्यय के मद में ₹ **५,०००** भी दिलाया जाना मैं न्यायोचित समझता हूँ ।

१९. इस प्रकार याचिया उक्त दुर्घटना में आई चोटों के कारण उक्त मदों में कुल ₹ **७,०६५+८,०००+८,०००+४,९५०+४,९५०+५,०००=३७,९६५ (सैंतीस हजार नौ सौ पैंसठ) ₹** क्षतिपूर्ति के रूप में पाने की अधिकारी है तथा इस धनराशि पर ७.५ प्रतिशत साधारण वार्षिक की दर से ब्याज, याचिका प्रस्तुत करने के दिनाँक से वास्तविक भुगतान के दिनाँक तक याची को दिलाया जाना उचित होगा। **वाद बिन्दु सं. ४ व ५** तदनुसार निस्तारित किये जाते हैं।

आदेश

याचिया की याचिका विपक्षी सं. १ व २ के विरूद्ध क्षतिपूर्ति संयुक्त एवं प्रथक प्रथक रूप से धनराशि ₹ **३७,९६५ (सैंतीस हजार नौ सौ पैंसठ)** मय ७.५ प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज, याचिका प्रस्तुत करने के दिनाँक से वसूली की तिथि तक, के लिए आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। विपक्षी सं. ३ शाखा प्रबन्धक इफको टोकियो जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त धनराशि की प्रतिपूर्ति निर्णय के दिनाँक से ३० दिन के अन्दर मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी के सिंडीकेट बैंक (कैनरा बैंक) के खाता सं.९२३५२०१०००८५६० IFSC Code-SYNB ००० ९२३५ में आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से कर दें। उक्त धनराशि जमा होने पर याचिया जरिये आर.टी.जी.एस./नेफ्ट नकद प्राप्त कर सकेगी ।

तदनुसार एवार्ड तैयार हो।

दिनाँकः ०९.१२.२०२० (चंद्रोदय कुमार)
मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण
झाँसी

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवम् दिनाँकित कर खुले वर्चुअल न्यायालय मे उदघोषित किया गया।

दिनाँक ०९.१२.२०२० (चंद्रोदय कुमार)
मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण,
झाँसी